मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः03.04.2026

थाना विन्ध्याचल पुलिस द्वारा 02 पिकअप वाहनों पर क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु ले जा रहे 11 राशि गोवंश बरामद, 02 गो-तस्कर गिरफ्तार—

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा वांछित/वारण्टी/इनामियां अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं गो-तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देश के क्रम मे जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में आज दिनांकः 03.04.2026 को थाना विन्ध्याचल पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना विन्ध्याचल क्षेत्रांतर्गत गैपुरा चौराहे के पास से 02 पिकअप वाहन सवार 02 नफर अभियुक्तगण 1. संजय कुमार यादव पुत्र जयनाथ निवासी रसार थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज व 2. रामू यादव पुत्र फूलचन्द यादव निवासी रसार थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त पिकअप वाहनों में क्रूरता पूर्वक बांध कर वध हेतु ले जाये जा रहे कुल 11 राशि गोवंशो को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-84/2026 धारा 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधि. पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। गो तस्करी की घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्या UP 36 AT 3793 व UP 32 RN 5646 को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. संजय कुमार यादव पुत्र जयनाथ निवासी रसार थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज।
2. रामू यादव पुत्र फूलचन्द यादव निवासी रसार थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज।

बरामदगी विवरण-

11 राशि गोवंश व गौ तस्करी में प्रयुक्त 02 पिकअप वाहन संख्या UP 36 AT 3793 व UP 32 RN 5646.

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-84/2026 धारा 3/5a/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधि. थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

थानाध्यक्ष अविनाश प्रकाश राय मय पुलिस टीम थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

****